



MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 06.07.2025



- *1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 108 वाहनों का चालान किया गया।
- *2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 60 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 बीएनएनएस मे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।
- *3. “मिशन शक्ति अभियान”-*** मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन के प्रति महिलाओं बालिकाओं में सुरक्षा व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक।
- *4. पैदल गश्त अभियान-*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा 34 पुलिस एक्ट मे 16 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
- *5. पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में*** पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संत्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु संवाद किया गया।

थाना कोतवाली द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. दीपक गुप्ता उर्फ चुन्नू पुत्र राम भवन गुप्ता (गैंगलीडर) 2. हरिकेश चौहान पुत्र इन्द्रसेन चौहान(सदस्य) 3. पप्पू कुमार पुत्र मुंशी(सदस्य) 4. संगम पासवान पुत्र सुरेन्द्र पासवान(सदस्य) अभियुक्तगण द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी अथवा अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एक संगठित गिरोह बनाकर अपराध कारित करना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 357/2025 धारा 2ख(1)3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

थाना सोहगीबरवा द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र बुंना निवासी शिकारपुर टोला धर्मपुर थाना सोहगीबरवा के पास से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 12/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

थाना बृजमनगंज द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. याकूब पुत्र मो0 अयूब उम्र वर्ष ग्राम लेहड़ा टोला बदलबाग थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज 2. मो0 हसन पुत्र फिरोज निवासी लेहड़ा टोला बदलबाग थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज 3. असफाक पुत्र अहमद रजा निवासी लेहड़ा टोला बदलबाग थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज 4. साहिल पुत्र राजू निवासी ग्राम लेहड़ा टोला बदलबाग थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज अभियुक्तगण के पास से 05 अदद पड़वा को एक पिकअप में ऊपर नीचे निर्दयता पूर्वक भरकर बेचने हेतु व पशुओं के मुख से झाग निकलना अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 197/2025 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

6. विवेचना निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 18 विवेचना का निस्तारण किया गया ।

***7. जनपद में 05-06-2025 को विभिन्न अपराधों में कुल- 69 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।**